इन्दौर महिला पोलीटेक्निक महाविद्यालय
इन्दौर (म0प्र0)

दूरभाष–731 2321906 फैक्स नं. 0731 2321906
वेबसाईटः www. gwpci.nic.in

निविदा प्रपत्र

सुरक्षा व्यवस्था

सत्र–2016–17

इन्दौर महिला पोलीटेक्निक महाविद्यालय
इन्दौर (म0प्र0)

दूरभाष–731 2321906 फैक्स नं. 0731 2321906
वेबसाईटः www. gwpci.nic.in

निविदा क्रमांक इन्दौर म0पो0इन्दौर................2016

<u>सुरक्षा व्यवस्था हेतु निविदा</u>

Name & Address of Contractor/ Agency	
Phone:	Fax:

Tender Form Fee/EMD Details
1. Tender Form cost :Rs.1000(Rupees one thousand Only) DDNo…………………. Dated ………………………   2. EMD Amount :Rs. 15000/-(Rs. Fifteen Thousand Only) DDNo…………………Dated………………………………
Last Date &Time for Receipt of Tender   **16/08/16 Till 3.00PM**
Date - 16/08/16   **Time of Opening of Tender- 4.00 PM**   **Venue - GOVERNMENT WOMEN'S POLYTECHNIC COLLEGE, INDORE**

इन्दौर महिला पोलीटेक्निक महाविद्यालय
राजेन्द्र नगर इन्दौर म0प्र0

दूरभाष–731 2321906 फैक्स नं. 0731 2321906
वेबसाईटः www. gwpci.nic.in

प्रति,

प्राचार्य,
इन्दौर महिला पोली. महाविद्यालय,
राजेन्द्र नगर,
इन्दौर (म.प्र.)

महोदय,

इन्दौर महिला पोलीटेक्निक महाविद्यालय में सुरक्षा व्यवस्था के लिए सुरक्षागार्ड हेतु अपनी दरें प्रस्तुत कर रहा हूँ इसके साथ ही उक्त निविदा के साथ सभी नियमों/शर्तो का सावधानीपूर्वक अध्ययन कर लिया है उन सभी नियमों/शर्तो का कड़ाई से पालन करना स्वेच्छापूर्वक स्वीकार करता हूँ :–

1. निविदाकार/फर्म का नाम पताः ....
2. नगर निगम का स्थापना पंजीयन प्रमाण–पत्रः ....
3. ई.पी.एफ.नंः ....
4. ई.एस.आई.नंः ....
5. पेन कार्ड नं. : ....
6. लेबर स्थापना पंजीयनः ....
7. पुलिस सत्यापन का नवीनतम प्रमाण–पत्रः ....
8. धरोहर राशि रू.: ....
9. विगत पॉच वर्षो में कुल कार्यरत कर्मचारियों की संख्या मूल प्रमाण–पत्र सहितः ....

निविदाकर्ता के हस्ताक्षर

इन्दौर महिला पोलीटेक्निक महाविद्यालय
राजेन्द्र नगर इन्दौर (म0प्र0)

दूरभाष–731 2321906 फैक्स नं. 0731 2321906
वेबसाईटः www. gwpci.nic.in

निविदा की सामान्य शर्तेः– सुरक्षा व्यवस्था हेतु निविदा की सामान्य शर्ते :–

1. निर्धारित तिथि एवं समय के पश्चात् प्राप्त होने वाली निविदाओं पर किसी भी परिस्थिति में विचार नहीं किया जावेगा।
2. महाविद्यालय द्वारा चाही गई अमानत राशि एवं आवश्यक विवरण के अभाव में प्राप्त निविदाऐं निरस्त मानी जावेंगी।
3. निविदाऐं निर्धारित तिथि एवं समय पर महाविद्यालय मे ंखोली जावेगी। निविदा खोलने के समय निविदाकर्ता स्वयं अथवा उनके अधिकृत प्रतिनिधि उपस्थित हो सकते है।
4. प्राचार्य के पास किसी निविदा अथवा समस्त निविदाओं को अपने विवेक से बिना कोई कारण बताए निरस्त करने का अधिकार सुरक्षित है।
5. यदि एक बार सफल निविदाकर्ता को महाविद्यालय द्वारा सुरक्षा ठेके का प्रस्ताव दिया जाता है एवं संबंधित निविदाकर्ता अपनी निविदा निष्पादित करने में असफल होता है, अथवा निविदा वापस लेना चाहता है, तो उस दशा में उसके द्वारा जमा की गई अमानत राशि महाविद्यालय द्वारा जप्त कर ली जावेगी।
6. **सुरक्षा निविदा के साथ –**
   1. **निविदा पत्रक की राशि रू. 1000/– (रूपये एक हजार मात्र) एवं**
   2. **अमानत राशि रू. 15000/– (रूपये पंद्रह हजार मात्र) ड्राफ्ट के रूप में जो कि प्राचार्य, शासकीय महिला पोलीटेक्निक महाविद्यालय इन्दौर के नाम देय हो, जमा करना अनिवार्य है।**
7. ऐसे निविदाकर्ता जिनकी निविदाऐं महाविद्यालय द्वारा अस्वीकृत की जाती है, उनकी अमानत राशि निविदा प्रक्रिया के पूर्ण होने के पश्चात् लौटाई जा सकेंगी।
8. निविदाकर्ता का भविष्य निधि का स्वयं का कोड होना आवश्यक है।
9. निविदाकर्ता द्वारा **टैक्नीकल बिड** एवं **फायनेंसियल बिड**, दोनों पृथक–पृथक लिफाफे में रखकर एक बड़े लिफाफे में जमा किया जाना है।
10. सीलबंद निविदाऐं शासकीय महिला पोलीटेक्निक महाविद्यालय राजेन्द्र नगर इन्दौर में दिनांक **16.08.2016 समय अपरान्ह 3:00 बजे** तक जमा की जा सकती है, जो कि दिनांक **16.08.2016 को अपरान्ह 04:00 बजे** कार्यालय में मनोनीत समिति के सम्मुख खोली जावेगी।

इन्दौर महिला पोलीटेक्निक महाविद्यालय
राजेन्द्र नगर इन्दौर (म0प्र0)

दूरभाष–731 2321906 फैक्स नं. 0731 2321906
वेबसाईटः www. gwpci.nic.in

सुरक्षा ठेके की शर्ते

1. सुरक्षा ठेका अनुबंध तिथि से एक वर्ष के लिये दिया जायेगा।
2. सुरक्षा एजेन्सी पूर्ण महाविद्यालय में कार्यरत् कर्मचारियों के साथ–साथ महाविद्यालय की सम्पत्ति (चल/अचल) एवं परिसर की 24 घण्टे सुरक्षा व्यवस्था करेगा। सुरक्षा व्यवस्था में कभी कमी होने के कारण महाविद्यालय को (चल/अचल) सम्पत्ति में यदि किसी प्रकार की आर्थिक हानि होती है तो एजेन्सी द्वारा भरपाई करना पड़ेगी।
3. सुरक्षा कार्य में लगाये गये कर्मियों की आयु अधिकतम 55 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए । उसे कम से कम 10वीं परीक्षा उत्तीर्ण होना चाहिए एवं सुरक्षा कार्य में कम से कम 02 वर्ष का अनुभव हो। इस आशय के दस्तावेज अनुमोदन के समय सक्षम अधिकारी को सुरक्षा एजेन्सी द्वारा प्रस्तुत किये जायेगे।
4. कार्य के दौरान पदस्त सुरक्षा कर्मियो की किसी भी प्रकार की दुर्घटना कि स्थिति मे सम्पूर्ण जिम्मेदारी ठेकेदार की रहेगी ।
5. सुरक्षा एजेन्सी द्वारा स्वयं के व्यय से सुरक्षा कर्मचारियों को वर्दी, प्रोटेक्टिव गारमेंट टार्च, फोटो परिचय पत्र आदि उपलब्ध करायेगी ताकि उनकी पहचान सुनिश्चित हो सके। वर्दी का रंग एवं डिजाईन की सूचना महाविद्यालय को दी जायेगी।
6. सुरक्षा एजेन्सी को अपने कर्मियों के लिए वाहन, आवास, भोजन आदि की व्यवस्था स्वयं करनी होगी। न तो महाविद्यालय द्वारा यह सुविधा दी जावेगी एवं न इस प्रयोजन हेतु कोई अतिरिक्त भुगतान किया जावेगा।
7. महाविद्यालय की कोई सामग्री महाविद्यालय द्वारा निर्धारित गेट पास होने पर ही बाहर जावेगी जिस पर महाविद्यालय के प्राचार्य कें हस्ताक्षर होंगे जिसका रिकार्ड गार्ड रूम में रखा जावेगा एवं आवश्यकता पड़ने पर संबंधित शाखा एवं प्राचार्य को प्रस्तुत करना होगा। बिना गेटपास के यदि कोई सामग्री बाहर जाती है तो इसकी जवाबदारी सुरक्षा एजेन्सी की होगी।
8. जिन सुरक्षा कर्मियों को डयूटी पर नियुक्त करना हो, उनका अनुमोदन नियुक्ति के पूर्व महाविद्यालय से कराया जाएगा। सिर्फ अनुमोदित सूची में से ही सुरक्षा कर्मियों की नियुक्ति की जा सकेगी। यदि कोई परिवर्तन करना हो तो नये प्रस्तावित कर्मी का अनुमोदन नियुक्ति के पूर्व प्राप्त करना होगा।
9. सुरक्षा एजेन्सी विगत माह का बल प्रत्येक आगामी माह के प्रथम सप्ताह में महाविद्यालय में प्रस्तुत करेगी। महाविद्यालय कार्यालय द्वारा बिलों का सत्यापन कर सुरक्षा एजेन्सी को बिल का भुगतान किया जावेगा। यदि कटौती किया जाना हो तो शाखा द्वारा इसकी सूचना वित्त शाखा को दी जावेगी तथा वित शाखा के माध्यम से कटौती की कार्यवाही की जावेगी। सुरक्षा ऐजेन्सी बिल के साथ सुरक्षा कर्मचारियो की सत्यापित उपस्थिति प्रमाण पत्र संलग्न करेगा। यदि सुरक्षा एजेन्सी, द्वारा वेधानिक औपचारिकताओं का परिपालन नहीं

किया जाता है एवं संबंधित पत्रक अथवा चाही गई जानकारी बिल के साथ प्रस्तुत नही की जाती है तो महाविद्यालय द्वारा सुरक्षा एजेन्सी को देयक राशि का 5 प्रतिशत भुगतान आगामी निराकरण होने तक रोक दिया जावेगा और इसके फलस्वरूप किसी भी सुरक्षा कर्मियों के भुगतान संबंधी प्रकरणों में यदि अवरोध पैदा होता है (और यदि उपरोक्त के अभाव में देयक के भुगतान में विलम्ब होता है) तो उसकी सम्पूर्ण जबावदारी सुरक्षा एजेन्सी की होगी एवं महाविद्यालय किसी भी प्रकार से जवाबदार नहीं रहेगा।

10. दोनों पक्षों में से कोई भी सामान्य दशा में एक माह की पूर्व सूचना देकर सुरक्षा ठेका समाप्त कर सकता हे परन्तु सुरक्षा एजेन्सी द्वारा अनुबंध के उल्लंघन एवं चूक करने की दशा में महाविद्यालय को अधिकार होगा कि वह सुरक्षा ठेका निरस्त कर सकेगा एवं ऐसे प्रकरण मे ंजमा की गई प्रतिभूति राशि जप्त कर ली जावेगी।

11. ठेके के दौरान सुरक्षा एजेन्सी महाविद्यालय के कर्मचारियों को प्रत्यक्ष अथवा अपरोक्ष रूप से सुरक्षा हेतु कार्य पर नहीं ले सकेगा।

12. सुरक्षा एजेन्सी अपना कार्य किसी अन्य ऐजेन्सी (Sub Agency) को नहीं देगा। यह कार्य वह स्वयं निर्वहन करेगा।

13. सुरक्षा एजेन्सी महाविद्यालय के प्राचार्य के प्रति उत्तरदायी होगी एवं निर्देशानुसार कार्य करेगी।

14. सुरक्षा कर्मचारियों को कार्य पर रखने के पूर्व पुलिस विभाग से उनका सत्यापन करवाने का दायित्व सुरक्षा एजेन्सी का होगा। महाविद्यालय में सुरक्षा कर्मियों की नियुक्ति के पूर्व सुरक्षा एजेन्सी यह सुनिश्चित करेगी कि उनके विरूद्ध किसी भी न्यायालय/पुलिस थाने में कोई भी प्रकरण विचारधीन दर्ज नही है।

15. सुरक्षा एजेन्सी को प्राचार्य द्वारा निर्देशित किये जाने पर सुरक्षा गार्डो का संस्था एवं संस्था की आवश्यकता अनुसार सुरक्षा हेतु किसी भी स्थान पर तैनात किया जा सकेगा। इसके लिए कोई अतिरिक्त राशि का भुगतान नहीं किया जाएगा।

16. साप्ताहिक एवं अन्य अवकाश अथवा अन्य किसी कारण से सुरक्षा गार्डो की अनुपस्थिति की स्थिति में एजेन्सी तुरन्त संबंधित सुरक्षा गार्ड के स्थान पर अन्य सुरक्षा गार्ड की तैनाती की कार्यवाही करेगी। सुरक्षा व्यवस्था हेतु 24 घंण्टे सुरक्षा कर्मियों की उपस्थिति अनिवार्य होगी ।

17. सुरक्षा एजेन्सी को टेण्डर स्वीकृति होने के उपरान्त पत्र जारी होने के 07 दिवस में अनुबंध करना होगा। निविदा के समय निविदाकर्ता द्वारा जमा की गई अमानत राशि को प्रतिभूति राशि के रूप में रखा जावेगा इस संबंध में देयक से किसी प्रकार का समायोजन संभव नही होगा। प्रतिभूति राशि पर कोई ब्याज देय नहीं होगा। प्रतिभूति राशि महाविद्यालय में जमा होने के पश्चात् निविदा शर्तो के अन्तर्गत सुरक्षा एजेन्सी एवं महाविद्यालय के बीच आवष्यक स्टाम्प पेपर पर अनुबंध निष्पादित होगा। प्राचार्य द्वारा निर्धारित अनुबंध प्रपत्र का आलेख कार्यालय में देखा जा सकता है।

18. सुरक्षा एजेन्सी के कर्मचारी किसी भी प्रकार की ट्रेड यूनियन की गतिविधियों मे ंभाग नहीं लेंगे। ऐजेन्सी के कार्मचारी किसी भी परिस्थितयों में अपने वेतन आदि के लिए संस्था से सीधे सम्पर्क नहीं कर सकेगें। समय पर वेतन भुगतान की जिम्मेदारी ऐजेन्सी की होगी न की संस्था की ।अन्य

19. महाविद्यालय द्वारा समय–समय पर दिए जाने वाले निर्देशों का कड़ाई से पालन करना एवं सुरक्षा व्यवस्था के लिए प्रभावी कदम उठाने के लिए सुरक्षा एजेन्सी उत्तरदायी होगी।

20. महाविद्यालय द्वारा आवश्यकतानुसार सुरक्षा अमले की तैनाती के संबंध में समय–समय पर निर्देश दिये जावेंगे, कर्मियों की संख्या कम या ज्यादा की जा सकती है जिसका सुरक्षा एजेन्सी द्वारा पालन करना अनिवार्य होगा। आवश्यकता पड़ने पर 24 घंटे की पूर्व सूचना पर अतिरिक्त सुरक्षा गार्ड/गनमैन उपलब्ध कराने होंगे।

21. सुरक्षा एजेन्सी को महाविद्यालय से कार्यादेश प्राप्त होने के 07 दिवस के अंदर श्रम संविदा अधिनियम 1970 के अन्तग्रत श्रम विभाग से लायसेंस (अनुज्ञप्ति) प्राप्त कर महाविद्यालय को प्रस्तुत करना होगा।अन्य

22. सुरक्षा एजेन्सी को आयकर अधिनियम के अन्तर्गत सुरक्षा गार्डो को उनके वेतन भुगतान करते समय आयकर अधिनियमों का पालन करना होगा।

23. महाविद्यालय परिसर में धूम्रपान/मदिरापान पूर्णतः वर्जित है। यदि सुरक्षा कर्मचारियों द्वारा इसका उल्लंघन किया जाता है तो प्राचार्य को स्व–विवेक से सुरक्षा एजेन्सी पर जुर्माना का अधिकार होगा एवं यह सुरक्षा एजेन्सी को मान्य होगा।

24. सुरक्षा एजेन्सी द्वारा अपने कर्मचारियों को प्रतिमाह भुगतान एकाउन्ट के माध्यम से करना होगा जिसकी छायाप्रति प्रतिमाह महाविद्यालय को उपलब्ध करानी होगी तथा कर्मचारियों के ई0पी0एफ0 /ई0एस0आई0 कटौत्रा अंशदान नियमानुसार जमा कराने हेतु उत्तरदायी होगी एवं इसका सम्पूर्ण रिकार्ड एजेन्सी द्वारा रखा जावेगा तथा सत्यापन हेतु रिकार्ड महाविद्यालय को प्रस्तुत किया जावेगा।

25. सुरक्षा एजेन्सी परिसर में आवारा कुत्तों एवं पशुओं को रोकने के लिए उत्तरदायी भी होगी। यदि ऐसा करने मे ंवह विफल हुई तो प्राचार्य स्व–विवेक से सुरक्षा एजेन्सी पर जुर्माना कर सकेंगे एवं सुरक्षा एजेन्सी को मान्य होगा।

26. यदि महाविद्यालय एवं सुरक्षा एजेन्सी के मध्य अनुबंध के अन्तर्गत कोई विवाद उत्पन्न होता है तो प्राचार्य द्वारा दिया गया निर्णय सुरक्षा एजेन्सी को मान्य एवं बंधनकारी होगा।

27. महाविद्यालय के प्राचार्य को यह अधिकार होगा कि उक्त सुरक्षा व्यवस्था के ठेके की समयावधि एक माह या अधिक समय के लिए स्वीकृति दरों एवं एजेन्सी की सहमति पर बढ़ाई जा सकती है।

28. सशर्त (Conditional) प्रस्तुत की गई निविदा मान्य नहीं होगी।

29. निविदाकर्ता को महाविद्यालय की उपरोक्त शर्तो को मान्य करने के संबंध में रू. 1000/– के स्टाम्प पर स्वयं के खर्च पर अनुबंध निष्पादित करना होगा।

33. सुरक्षा कर्मियों का निरीक्षण करने पर उपस्थित पंजी पर हस्ताक्षर के उपरान्त कर्मी के कार्य से अनुपस्थित रहने पर प्रति कर्मी रू. 1000/– (रू. एक हजार मात्र) के मान से देयक में से कटौती की जा सकेगी।

31. प्राचार्य द्वारा निरीक्षण के समय सुरक्षाकर्मी के कार्य के प्रति असजग पाये जाने पर प्रतिकर्मी रूपये 500/– (रू. पाँच सौ मात्र) का प्रति निरीक्षण दण्ड के रूप में देयक में से कटौती की जा सकेगी।

32. सभी प्रकरणों में न्यायालयीन क्षेत्र अधिकार इन्दौर न्यायालय तक सीमित होगा।

33. यह अनुबंध अहस्तांतरणीय रहेगा।

34. समय–समय पर माननीय कलेक्टर महोदय/अन्य सक्षम अधिकारी द्वारा कुषल/अकुषल आदि दैनिक वेतन भोगी कर्मियों हेतु निर्धारित न्यूनतम परिश्रमिक दरो का पालन निविदा राषि में किया जाना होगा ।

35. सुरक्षा कर्मियों हेतु माननीय कलेक्टर महोदय/अन्य सक्षम अधिकारी द्वारा निर्धारित वर्तमान (निविदा तिथि को प्रचलित दर) न्यूनतम देय राषि से कम राषि के आधार पर की जा रही निविदा को मान्य नही किया जायेगा ।

36. Directorate General of service Tax, Mumbai Department of Revenue, Ministry of Finance, Government of India sa Circular No. 172/7/2013-ST New Delhi, 19th September, 2013 अनुसार शैक्षणिक संस्थाओ ंको पदाय की जाने वाली सेवाओ पर सेवाकर देय नही है अतः निविदाकर्ता सेवाकर की गणना अपने निविदाओं में ना करें ।

37. निविदा सूचना में किसी भी प्रकार की टंकण त्रुटि को वाद का विषय नही बनाया जायेगा ।

38. निविदा कर्ताओं द्वारा प्रस्तुत दरों में समानता (**Tie**) होने की स्थिति में ऐजेन्सियों द्वारा गत पॉच वर्षो में कार्यरत कर्मचारियों की संख्या, ऐजेन्सी द्वारा विभिन्न संस्थाओं को प्रदाय की जा रही सेवाओं की संख्या को मान देते हुए ऐजेन्सी निर्धारण का अंतिम निर्णय किया जायेगा ।

39. समय–समय पर माननीय कलेक्टर महोदय/अन्य सक्षम अधिकारी द्वारा कुशल/अकुशल आदि दैनिक वेतन भोगी कर्मियों हेतु निर्धारित न्यूनतम वेतन एवं भत्ते मे किये गये परिर्वतन के प्रमाण प्रस्तुत करने पर संस्था द्वारा परिर्वतित दरों पर भुगतान किया जा सकेगा ।

प्राचार्य,
इन्दौर महिला पॉली. महाविद्यालय
इन्दौर

इन्दौर महिला पोलीटेक्निक महाविद्यालय
राजेन्द्र नगर इन्दौर (म0प्र0)

लिफाफा 'अ' में रखी जाने वाली विस्तृत विवरण–तकनीकी निविदा

(ऐजेन्सी के लेटरहेड पर जमा किया जावें)

(पृष्ठ संख्या अंकित की जाये)

1. संस्था का नाम :..

2. संस्था का पता :..

3. संस्था का प्रकार (प्रोपराईटर / पार्टनर) :..
   एन.जी.ओ. / या अन्य कोई हो तो स्पष्ट करे।)

4. संस्था प्रमुख का नाम :..

5. संस्था के पंजीयक / उप पंजीयक :..
   फर्म एवं सोसायटी म.प्र. में वैध पंजीयन की छायाप्रति।

6. कर्मचारी बीमा निगम (ई.एस.आई.सी.):..
   का वैध पंजीयन तथा पिछले वर्ष का रिटर्न
   कार्यालय द्वारा जारी जमा राशि का प्रमाण–पत्र

7. कर्मचारी निधि (ईपीएफ) का वैध पंजीयन :..
   तथा पिछले वर्ष का रिटर्न फार्म 6–ए अथवा फार्म 3–ए
   अथवा क्षेत्रीय या उपक्षेत्रीय कार्यालय द्वारा जारी पिछले
   वर्ष (2014–15) की जमा राशि का प्रमाण पत्र।

8. श्रमायुक्त, सहायक अथवा शासन द्वारा प्राधिकृतः..
   अधिकार द्वारा जारी वैध लेबर लायसेंस।

9. स्थायी आयकर संख्या (पैन नं.) होना :..
   आवश्यक है। पिछले वर्ष (2014–15) विवरण
   अथवा टैक्स क्लायरेंस का प्रमाण पत्र।

10. सेवाकर का पंजीयन (15 अंको वाला कोड नं.): ....

पिछले वर्ष (2014–15) की विवरणी अथवा सेन्ट्रल एक्साइज अथवा संबंधित कार्यालय द्वारा जारी टेक्स क्लायरेंस का प्रमाण पत्र।

11. किसी शासकीय अर्द्धशासकीय अथवा शासन के :... किसी उपक्रम में निविदत्त कुल पॉच वर्ष के अनुभव प्रमाण पत्र।

12. प्रोपाईटरशिप का प्रमाण पत्र :...

13. संस्थान का विवरण जहॉ विगत पॉच वर्षो में सेवाये दी गई जिनका अनुभव संबंधी पत्र प्रस्तुत किया गया है :–

क्रमांक	**विभाग का नाम**	**विभाग का पता**	**अंनुबंधित सुरक्षा कर्मियो की संख्या**	**अनुबंध क्रमांक**	**दिनांक**

14. **धरोहर राशि डी.डी.क्रं. एवं दिनांक (डी.डी. संलग्न) 15000/– (रू. पंद्रह हजार मात्र)**

15. बैंक का नाम एवं पता :...

16. दिनांक :...

17. किसी भी शासकीय/अर्द्धशासकीय संस्थान से भी कालीसूचीबद्ध (ब्लैक लिस्टेड) हुए है :– **हाँ/नहीं**

//घोषणा//

मैं/हम सत्यनिष्ठा से घोषणा करते है कि उपर्युक्त दी गई जानकारी सत्य है। असत्य पाये जाने पर हमारे विरूद्ध विधिसम्मत कार्यवाही की जाये। प्रश्नाधीन निविदा में संबंधित कर्मचारियों की सेवाऐं देने हेतु हम विधिक रूप से सक्षम हैं। विधिक औपचारिकतायें संस्था के पास पूर्णतः हैं।

निविदाकर्ता के हस्ताक्षर

नोटः'– कृपया अनावश्यक एवं भ्रमित करने वाले दस्तावेज संलग्न नहीं किये जाये समस्त दस्तावेज सुस्पष्ट एवं पठनीय होना चाहिए तथा उपरोक्त विवरण के अनुसार क्रमबद्ध संलग्न होना चाहिए।

इन्दौर महिला पोलीटेक्निक महाविद्यालय
राजेन्द्र नगर इन्दौर (म0प्र0)

सुरक्षा व्यवस्था हेतु फाइनेसियल बिड

(ऐजेन्सी के लेटरहेड पर जमा किया जावें)

लिफाफा 'ब' में रखी जाने वाली विस्तृत विवरण–फाइनेंसियल बिड

सरल क्रमांक	विवरण	सुरक्षा गार्ड राशि रूपये में (प्रतिमाह / प्रतिगार्ड)	सफाई कर्मचारी	अकुशल मजदूर बगीचा हेतु
1	न्यूनतम मूल वेतन			
2	परिवर्तनशील मंहगाई भत्ता			
3	ई. पी. एफ. .... प्रतिशत			
4	ई. एस. आई......... प्रतिशत			
5	अन्य राशि विवरण सहित			
6	महायोग (प्रतिमाह / प्रति) राशि रूपये में			

निविदाकर्ता के हस्ताक्षर